

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय

23.08.2024

2024/548

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हरीपाल सिंह
वादा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

रावतसर जिला हनुमानगढ
बलविन्द्रकौर आदि
प्रकरण संख्या 113 वर्ष 2024

बनाम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुये

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

28.03.2024

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 09.04.2024 को पेश हो।

or

9.4.2024

1कुलाए फर्दकन उपास्थत/PU माहः अहकाम
पत्रावली है। पत्रावली 23.08.2024
मस्त 23.08.2024 दिनक
हु पेश हो

11.6.2024

1कुलाए फर्दकन उपास्थत/PU माहः अहकाम
पत्रावली है। पत्रावली 23.08.2024
मस्त 23.08.2024 दिनक
हु पेश हो

13.8.2024

1कुलाए फर्दकन उपास्थत/PU माहः अहकाम
पत्रावली है। पत्रावली 23.08.2024
मस्त 23.08.2024 दिनक
हु पेश हो

21.8.2024

1कुलाए फर्दकन उपास्थत/PU माहः अहकाम
पत्रावली है। पत्रावली 23.08.2024
मस्त 23.08.2024 दिनक
हु पेश हो

23.8.2024

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्ट्र किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 09.04.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 113/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हरीपाल सिंह पुत्र श्री सुचेत सिंह जाति जटसिख साकिन 10 ओ. तेजेवाला तहसील
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राज0।

-वादी

बनाम

1. बलविन्द्र कौर पत्नि श्री सुचेत सिंह जाति जटसिख साकिन 10 ओ. तेजेवाला तहसील
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राज0।
2. सरवनसिंह पुत्र श्री सुचेत सिंह जाति जटसिख साकिन 10 ओ. तेजेवाला तहसील
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राज0।
3. हरमनसिंह पुत्र श्री सुचेत सिंह जाति जटसिख साकिन 10 ओ. तेजेवाला तहसील
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राज0।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ, राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास शर्मा वकील-वादी

श्री हितेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक:- 25/8/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर
के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नं. 17 डी.
डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 167/408(1) किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 की 2.2770 है0
पत्थर नं. 167/409(5) 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 21/2,22/3,23/3 की 3.5920 है0
कुल 5.8690 है. में से 1/3 हिस्सा व चक नं. 11 ए.एम. के पत्थर नं. 166/408 (32) के
किला नं. 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17,
18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25 की 3.5420 है., पत्थर नं. 166/409(33) के किला
नं. 3 ता 8, 13 ता 17, 18/2, 23/2, 24, 25 की 3.7450 है0 पत्थर नं. 166/410(37)
के किला नं. 3/4, 4/1, 5/1, 7/2, 8/2, 8/4 की 0.8240 है0 कुल 8.1110 है. में से
1/3 हिस्सा भूमि से सचेतसिंह पुत्र सरदुलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके
स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व
रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23/8/2024
को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर